

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/शिविर/ 258

/2016-17 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-5600/उप्राशिप/एल0टी0भर्ती/2014 दिनांक 23-02-2014 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या-5611 दिनांक 25-02-2014 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0-सेवा-2/708-11/2016-17 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-7109/उप्राशिप/एल0टी0भ0च0प0/2016-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित संख्या-199/XXIV-नवसृजित/2016-32(02)/2016 टी0सी0-II देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पृष्ठांकन संख्या-28870-71/वि0प्र0 माध्यमिक/2016-17 दिनांक 23-12-2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (9300-34800) ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय - कला (सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रविशंकर गुँसाई	श्री शंकर सिंह गुँसाई	द्वारा जयवीर सिंह, हिन्दी विभाग, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा	सामान्य -	12-Jul-1991	पौड़ी गढ़वाल	बीएफए	123.00	रा0इ0का0 नौगाँवरीठागाड, अल्मोड़ा
2	जीवन चन्द्र तिवारी	श्री हरीश चन्द्र तिवारी	म0नं0-147 खडी बाजार, रानीखेत, जिला-अल्मोड़ा	सामान्य	3-Jun-1990	अल्मोड़ा	बीएफए	113.75	रा0उ0मा0वि0 चौगाँव, ताडीखेत, अल्मोड़ा
3	दिनेश चन्द्र देवतल्ला	श्री दयाकृष्ण देवतल्ला	तराई पूर्वी वन प्रभाग, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल	सामान्य -	3-Jul-1990	अल्मोड़ा	बीएफए	108.50	रा0इ0का0 पन्तस्थली, अल्मोड़ा
4	श्री चन्द्रशेखर भारती	श्री दुर्गा राम	मं0नं0-68, जोगिदा वाखली, नियर सतपाल आश्रम, भिक्यासैन, जिला-अल्मोड़ा	अनु0जाति -	5-Jul-1991	अल्मोड़ा	बीएफए	108.50	रा0इ0का0 नैनवालपाली सल्ट, अल्मोड़ा

12

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूडकी हरिद्वार।
- 05- अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 06- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 08- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 09- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करें-

- (क)- अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली-भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।
- (ख)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0-कला विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-
 - (1)- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग में अथवा फाईन आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि।
 - (2)- इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट/हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 04 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा/फाईन आर्ट से मान्यता प्राप्त संस्था से। (मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट/हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 04 वर्षीय फाइन आर्ट डिग्री धारक)

अथवा

- (क)- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेंटिंग/फाईन आर्ट/कला विषय में स्नातक की उपाधि।
- (ख)- किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।
- (ग)- इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

- (ग)- एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय महाविद्यालय से फाईन आर्ट विषय में बी0एड0 डिग्री/डिप्लोमा।
- (ग)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (घ)- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (ङ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
- (च)- अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वै हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 11- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 12- सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 13- कार्यालय आदेश पंजीक।

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। प्रतिहस्ताक्षरित.....हस्ताक्षर.....नाम.....पदनाम.....विद्यालय.....संस्थाध्यक्ष.....

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/शिविर/259 /2016-17 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016
विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-5600/उप्राशिप/एल०टी०भर्ती/2014 दिनांक 23-02-2014 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या-5611 दिनांक 25-02-2014 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं०-सेवा-2/708-11/2016-17 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-7109/उप्राशिप/एल०टी०भ०च०प०/2016-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित संख्या-199/XXIV-नवसृजित/2016-32(02)/2016 टी०सी०-II देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पृष्ठांकन संख्या-28870-71/वि०प्र० माध्यमिक/2016-17 दिनांक 23-12-2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (9300-34800) ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय - कला (महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विजया बिष्ट	श्री उमेश चन्द्र बिष्ट	मं०नं०-22 ए, देवाश्रय कॉलोनी, लोहरियासाल तल्ला, ऊँचापुल, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल	सामान्य -	17-Jul-1985	अल्मोड़ा	बीएफए	110.50	रा०क०इ०का० मासी अल्मोड़ा

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की हरिद्वार।
- 05- अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 06- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 08- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 09- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करें-

(क)- अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की मूला-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराये।

(ख)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(वथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0-कला विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-

(1)- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग में अथवा फाईन आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि।

(2)- इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट/हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 04 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा/फाईन आर्ट से मान्यता प्राप्त संस्था से। (मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट/हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 04 वर्षीय फाइन आर्ट डिग्री धारक)

अथवा

(क)- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेंटिंग/फाईन आर्ट/कला विषय में स्नातक की उपाधि।

(ख)- किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।

(ग)- इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय महाविद्यालय से फाईन आर्ट विषय में बी0एड0 डिग्री/डिप्लोमा।

(ग)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(घ)- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(ङ)- नि:शक्तता की स्थिति में नि:शक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

(च)- अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वै हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहरताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्त/अपरान्त में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 11- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 12- सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 13- कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा

घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करुंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करुंगी।

प्रतिहरताक्षरित.....

संस्थाध्यक्ष.....

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

हरताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/शिविर/

268

/2016-17 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-5600/उप्राशिप/एल०टी०भर्ती/2014 दिनांक 23-02-2014 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या-5611 दिनांक 25-02-2014 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं०-सेवा-2/708-11/2016-17 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-7109/उप्राशिप/एल०टी०भ०च०प०/2016-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित संख्या-199/XXIV-नवसृजित/2016-32(02)/2016 टी०सी०-II देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पृष्ठांकन संख्या-28870-71/वि०प्र० माध्यमिक/2016-17 दिनांक 23-12-2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (9300-34800) ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय - कला (सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगेन्द्र पांगती	श्री पूरन सिंह पांगती	मकान० न० 490 सोकत कॉलोनी मल्ली बमोरी दो नहरिया भोटिया पड़ाव हल्द्वानी नैनीताल	अनु०जन० जाति	18-Jan-1986	नैनीताल	बीएफए	107.00	रा०इ०का० वारीकटना, नैनीताल
2	दीपक चन्द	श्री शोबन राम	द्वारा श्री बालकिशन आगरी, मं०नं०-34, ग्रा०-आगर, पो०एवं तह०-द्वाराहाट, जिला-अल्मोड़ा	अनु०जाति	6-Jul-1979	अल्मोड़ा	बीएफए	105.75	रा०इ०का० ईंटाचौधार, अल्मोड़ा
3	शबीना परवीन	श्री हाजी अब्दुल हमीद	लाईन नं०-10, आजाद नगर, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल	अन्य पि०जाति महिला	4-Aug-1984	नैनीताल	एमएफए	103.25	रा०इ०का० जितुवापीपल, नैनीताल

42/

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 04- सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार।
 - 05- अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 - 06- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
 - 07- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
 - 08- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
 - 09- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
 - 10- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करें-

- (क)- अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली-भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।
- (ख)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0-कला विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-
- (1)- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग में अथवा फाईन आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि।
 - (2)- इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट/हायर सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 04 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा/फाईन आर्ट से मान्यता प्राप्त संस्था से। (मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट/हायर सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 04 वर्षीय फाइन आर्ट डिग्री धारक)

अथवा

- (क)- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेंटिंग/फाईन आर्ट/कला विषय में स्नातक की उपाधि।
- (ख)- किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।
- (ग)- इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

- (ग)- एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय महाविद्यालय से फाईन आर्ट विषय में बी0एड0 डिग्री/डिप्लोमा।
- (घ)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (ङ)- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (ड)- नि:शक्तता की स्थिति में नि:शक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
- (च)- अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वै हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

- 11- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, मुख्य धिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0ई0आर0टी0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 12- सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 13- कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
हरताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/शिविर/

261
विज्ञप्ति/नियुक्ति

/2016-17 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-5600/उप्राशिप/एल0टी0भर्ती/2014 दिनांक 23-02-2014 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या-5611 दिनांक 25-02-2014 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0-सेवा-2/708-11/2016-17 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-7109/उप्राशिप/एल0टी0भ0च0प0/2016-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित संख्या-199/XXIV-नवसृजित/2016-32(02)/2016 टी0सी0-II देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पृष्ठांकन संख्या-28870-71/वि0प्र0 माध्यमिक/2016-17 दिनांक 23-12-2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (9300-34800) ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय - कला (सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गोकुल चन्द्र	श्री रमेश लाल	चतुरभोज, पो0-मनीआगर, जिला-अल्मोडा	अनु0जाति -	30-Jun-1987	अल्मोडा	बीएफए	100.50	रा0इ0का0 दशीलावडियार अल्मोडा
2	ज्योति	श्री लोकमणी आर्या	म0नं0-29, घूना, पो0-रातीघाट, जिला-नैनीताल	अनु0जाति महिला	2-Feb-1991	नैनीताल	बीएफए	96.50	रा0उ0मा0वि0 कामाकनलगाँव द्वाराहाट, अल्मोडा
3	देवेश सिंह	श्री पुष्कर सिंह बिष्ट	म0नं0-13/ए, धारानीला अल्मोडा	सामान्य -	13-Aug-1989	नैनीताल	बीएफए	109.50	रा0उ0मा0वि0 झालडुंगरा, अल्मोडा

45

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार।
- 05- अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 06- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 08- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 09- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करें-

- (क)- अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली-भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- (ख)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0-कला विषय हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-
 - (1)- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग में अथवा फाईन आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि।
 - (2)- इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट/हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 04 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा/फाईन आर्ट से मान्यता प्राप्त संस्था से। (मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट/हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 04 वर्षीय फाइन आर्ट डिग्री धारक)

- (क)- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेंटिंग/फाईन आर्ट/कला विषय में स्नातक की उपाधि।
- (ख)- किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।
- (ग)- इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय महाविद्यालय से फाईन आर्ट विषय में बी0एड0 डिग्री/डिप्लोमा।

- (ग)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (घ)- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (ङ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
- (च)- अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वै हो।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

- 11- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 12- सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 13- कार्यालय आदेश पंजिका।

अनुबन्ध पत्र

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।
प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....
हरताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....